यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.10.2018 से 27.10.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीणा, लेखापरीक्षक एवं अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2017 से 19.05.2017 तक श्री पी0के0 गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 07/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वन विभाग से सम्बंधित समस्त कार्य प्रभाग के अन्तर्गत के 6 रेन्ट कार्य
3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	720.92
2016-17	92.47
2017-18	268.04

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	7.69	625.52	553.74	269.17	268.94	-	79.91
2016-17	-	7.91	585.31	536.82	422.72	412.00	-	67.12
2017-18	-	0	618.91	613.94	602.10	601.44	-	5.63

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	7.44	7.44	

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "अ" (राजस्व)

प्रस्तर- 1 : प्रबन्ध योजना अनुसार कार्य न करने से लीसा मद में राजस्व हानि ₹ 15.21 लाख तथा लीसा नीलामी न होने से ₹ 208.33 लाख राजस्व अवरोधन।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना वर्ष 2014-15 से 2023-24 के अनुसार लीसा फसल के लिये चयनित प्रस्तावित क्षेत्र में 15 कक्षों में 119492 घाव किये जाने थे तथा लीसा उत्पादन का लक्ष्य 2.5 किलोग्राम प्रति घाव प्रति वर्ष निर्धारित था।

लीसा उत्पादन से संबन्धित अभिलेखों एवं प्रगति विवरण के अनुसार लीसा फसल वर्ष 2017 में लीसा उत्पादन हेतु 108721 घाव बनाये गये और 2.5 किलोग्राम प्रति घाव की दर से कुल 2718.03 कुंतल का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार वर्ष 2017 में कुल लीसा उत्पादन 2720.93 कुंतल प्राप्त हुआ।

जाँच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा प्रबन्ध योजना के विपरीत केवल 108721 घाव ही बनाये गये जिनपर लीसा उत्पादन का कार्य किया गया। इस प्रकार प्रभाग द्वारा 10771 घाव कम बनाये गये जिससे 2.5 किलोग्राम प्रति घाव की दर से 269.28 कुंतल लीसा का कम उत्पादन हुआ। प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लीसा का औसत मूल्य ₹ 5650/कुंतल था। इस प्रकार 269.28 कुंतल कम उत्पादन किये जाने से विभाग ₹ 15,21,432/- (269.28 कुं॰*₹ 5650/कुंतल) की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि निर्धारित क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित घावों का संबन्धित वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरान्त सूचित किया गया कि मौके पर मात्र 108721 घाव उपलब्ध हैं, जिन पर कार्य किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबंध योजना के अनुसार निर्धारित घावों पर कार्य नहीं किया गया जिससे लीसा का कम उत्पादन होने से ₹ 15,21,432/- राजस्व प्राप्ति नहीं हो सकी।

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि रेल हेड डिपो, ऋषिकेश में वर्ष 2017 में प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र का कुल 3687.18 कुंतल लीसा अवशेष था, जिसकी नीलामी नहीं की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में लीसा का औसत मूल्य ₹ 5650/कुंतल की दर से ₹ 2,08,32,567/- का राजस्व अवरोधित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बंध में इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा कहा गया कि नीलामी न करने के प्रकरण के सम्बन्ध में ऋषिकेश डिपो से उत्तर प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः ₹ 15,21,432/- की राजस्व हानि एवं ₹ 2,08,32,567/- के राजस्व अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 "अ"</u>

<u>प्रस्तर- 2:</u> वन-निगम द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ` 58.03 लाख ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लियेकिश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह मार्च

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह जून

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: लॉट आवंटन के आगामी वर्ष में माह सितंबर

बिन्दु संख्या 31 (3क)(अ) के अनुसार चीड़ की लौट के संबंध मे किश्तों का भुगतान भी उक्त नियमानुसार ही किया जायेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पंजिका/पत्रावलियों व उपलब्ध कराई गयी लौट आवंटन व रॉयल्टी आंगणन शीट की लेखापरीक्षा में जाँच की गयी। जाँच मे निम्न बिन्दु प्रकाश मे आये:

A. (1) वर्ष 2016-17 में कार्यालय द्वारा वन विकास निगम पौड़ी व कर्णप्रयाग (जिन्हें आगे वन विकास निगम कहा गया है) को 86 लौटों का आवंटन किया गया था। वन विकास निगम द्वारा इन लौटों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान वर्ष 2017 के माह मार्च, जून व सितंबर मे उपरोक्त वर्णित नियम के अंतर्गत करना था।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम, पौड़ी द्वारा पत्र संख्या 752/रॉयल्टी दिनाँक 27.10.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि निगम को आवंटित लौटों के संबंध में उनके द्वारा ` 90,32,886/- का भुगतान करना था। इस पत्र में कुल 40 लौटों के सम्बंध मे ही रॉयल्टी भुगतान किये जाने का विवरण था। इसके अतिरिक्त वन विकास निगम, कर्णप्रयाग द्वारा अपने पत्र संख्या 899/रॉयल्टी दिनाँक 08.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि निगम को आवंटित लौटों के सम्बंध में उनके द्वारा ` 9,92,001/- रॉयल्टी का भुगतान करना था। इस पत्र में कुल 07 लौटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान किये जाने का विवरण था ।

उक्त दोनों पत्रों के अनुसार निगम द्वारा देय रॉयल्टी ` 1,00,24,887/- (` 90,32,886+9,92,001) थी। रॉयल्टी जमा पंजिका की जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा वर्ष 2017 में कुल ` 99,95,238/ रॉयल्टी ही जमा कराई गयी थी। इस प्रकार ` 29,649/- रॉयल्टी निगम द्वारा कम जमा कराई गयी थी ।

(2) वन विकास निगम के उक्त पत्रों के अनुसार क्रमश: 40 लौट व 07 लौट, इस प्रकार कुल 47 लौटों के सम्बंध में ही रॉयल्टी भुगतान किये जाने हेतु अवगत कराया गया था जबकि कार्यालय द्वारा निगम को 86 लौटों का आवंटन किया गया था जिसकी रॉयल्टी निगम द्वारा देय थी।

इस प्रकार निगम द्वारा वर्ष 2016-17 में आवंटित 86 लौटों में से केवल 47 लौटों का ही रॉयल्टी भुगतान प्रभाग को किया एवं 39 लौटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान किये जाने का कोई विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी रॉयल्टी आंगणन शीट का निर्धारित दर से रॉयल्टी आंगणन करने पर पाया गया कि अवशेष 37 लौटों (02 लाट फर की जिनका पातन नहीं हुआ है) के सम्बंध में ` 11,92,399/- की रॉयल्टी निगम द्वारा देय थी (**विवरण संलग्न-I**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि निगम द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया है एवं न ही इन लाटों से संबन्धित भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त विकास कार्य से संबन्धित लाटों का रॉयल्टी भुगतान निगम द्वारा नहीं किया गया है।

(B) वर्ष 2017-18 में कार्यालय द्वारा वन विकास निगम को 36 लौटों का आवंटन किया गया था। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी लॉट आवंटन/आयतन/रॉयल्टी आंगणन शीट की जाँच पर यह ज्ञात हुआ कि 23 लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी ` 45,81,378/- का भुगतान वन विकास निगम द्वारा प्रभाग को नहीं किया गया था (**विवरण संलग्नक-II**)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि संबन्धित लाटें विकास कार्य से संबन्धित होने के कारण रॉयल्टी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आगे इकाई द्वारा कहा गया कि निगम द्वारा अपने पत्रांक 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनाँक 14.09.2016 (स्थायी आदेश) द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास कार्यों से संबन्धित आवंटित वृक्षों की रॉयल्टी निगम द्वारा भुगतान नहीं की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में निगम के उक्त आदेश में वर्णित आदेशों (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-1/2007/FC दिनाँक 11.12.2008 एवं F.No. 5-1/98-FC/पीटी-II दिनाँक 29.03.2005 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक 783/1-42 दिनाँक 07.09.2016) का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि इन आदेशों में विकास कार्यों हेतु आवंटित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी भुगतान न किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है। इन आदेशों अनुसार वन-निगम द्वारा विकास कार्य लॉटों में पातन किये गये वृक्षों पर समस्त व्यय यूजर एजेंसी से लिया जा रहा है परन्तु किसी प्रकार की रायल्टी का भुगतान प्रभाग को नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार प्रभाग द्वारा मात्र निगम के आदेश के आलोक में रॉयल्टी ` 57,73,777/- (`11,92,399+`45,81,378) वसूल किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विकास कार्यों हेतु आवंटित लाटों के सम्बंध में रॉयल्टी वसूल किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाएँगे।

अतः वन विकास निगम से रॉयल्टी ` 58,03,426/- (`29,649+` 57,73,777) वसूल न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: नियमानुसार लीज रेन्ट न वसूल किये जाने से राजस्व हानि ` 5.18 लाख।

शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनाँक 02 जुलाई 1979 मे उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृत की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिए जाने का प्रावधान है। उक्त शासनादेश मे प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीज धारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेंट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

कार्यालय प्रभागीय वानधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में लीज रेंट जमा से संबन्धित पंजिका की जाँच में पाया गया कि छः लीजधारकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु वन भूमि लीज पर स्वीकृत की गयी थी। इन लीज धारकों द्वारा लीज स्वीकृति के समय वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) तथा प्रीमियम की 10 प्रतिशत धनराशि लीज रेंट के रूप में जमा की गयी थी। आगे जाँच मे पाया गया कि लीज धारकों से लीज अवधि के प्रारम्भिक 10 वर्षों उपरान्त नियमानुसार वन भूमि के मूल्य के बराबर लीज रेन्ट वसूल नहीं किया गया था। विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	लीजधारक का नाम	प्रयोजन	लीज की अवधि		वन भूमि का मूल्य/प्रीमियम (₹ मे)	वर्ष जब से लीज रेंट (भूमि के मूल्य के बराबर) देय है	जमा लीज रेन्ट (₹ मे)	बकाया लीज रेंट (₹ मे) (6-8)
			कब से	कब तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री ओंकारानंद हिमालयन मांटेशरी स्कूल जखोली	स्कूल	1999	2029	54600	2009	5460	49140
2	जनपद टिहरी गढ़वाल मे 33/11 केवी उप-संस्थान के निर्माण हेतु	विद्युत सप्लाई	2001	2030	462000	2011	46200	415800
3	ग्राम डांगी स्वजल पेयजल योजना	पेयजल	2001	2020	7080	2011	708	6372
4	ग्राम कूड़ी अदूली स्वजल पेयजल योजना	पेयजल	2001	2020	6720	2011	672	6048
5	ग्राम जाखनी लस्सया स्वजल पेयजल योजना	पेयजल	2001	2020	10280	2011	1028	9252
6	ग्राम लिस्वाटा बांगर स्वजल पेयजल योजना	पेयजल	2001	2020	35420	2011	3542	31878
	योग						**57610**	**518490**

अतः उपरोक्तानुसार लीजधारकों से ₹ 5,18,490/- लीज रेन्ट वसूल किया जाना था जिस हेतु प्रभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रारम्भ में वन भूमि का मूल्य व 10 प्रतिशत लीज रेन्ट लीजधारकों द्वारा जमा कराया गया था, उसके पश्चात कोई भी लीज रेन्ट जमा नहीं किया गया है। संबन्धित विभागों/लीजधारकों पर शीघ्र लीज रेन्ट की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः लीज रेन्ट न वसूले जाने से राजस्व क्षति ₹ 5,18,490/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-88 वर्ष 2018-19

व्यय से संबन्धित

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 2 : मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ` 58.33 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा प्रख्यापित मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(2) (तीन) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी को मारे जाने की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष मे आंकलित कुल देय धनराशि का 20% धनराशि अग्रिम के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है। नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार खच्चर की मृत्यु पर अनुग्रह राशि ` **40,000/-** का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अन्त मे 360 प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष ` **58.33** लाख का भुगतान लम्बित था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि श्री कमल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम-देवर, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग को खच्चर को वन्यजीव द्वारा मारे जाने पर अनुग्रह राशि ` **40,000/-** के सापेक्ष केवल ` **30,000/-** का ही भुगतान किया गया था। इकाई द्वारा समस्त लंबित प्रकरणो मे नियमानुसार 20% धनराशि का भुगतान भी मवेशी स्वामियों को नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कम भुगतान के प्रकरण के सम्बंध मे कहा गया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलखों के अनुसार माह 01/2018 मे निधि मे ` 6.82 लाख अवशेष था जिससे अग्रिम राशि का भुगतान किया जा सकता था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण ` 58.33 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 3 : सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य कराया जाना ` 37.11 लाख ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के बिन्दु 43(ग) के अनुसार किसी कार्य को तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 245/XXVII/(7)/2012 दिनाँक 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आंगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप-वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को ₹ 5.00 लाख की सीमा तक अधिकार प्रदान किया गया है तथा इसके ऊपर ₹ 10.00 लाख की सीमा तक वन संरक्षक को अधिकार दिया गया है।

कार्यालय पप्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के ई-9 पंजिका (निर्माण कार्यों से संबन्धित) वर्ष 2017-18 की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित नौ कार्यों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कराया गया था:

क्रम सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)
1	गुप्तकाशी यूनिट के अंतर्गत जामू लेबर हट का मरम्मत कार्य (सिविल कार्य)	102215
2	बहूद्देशीय वृक्षारोपण (03 वानिकी कार्य)	1690700
3	प्रभागीय कार्यालय एवं आवासीय भवनो हेतु पाइप लाइन शिफ्टिंग (सिविल कार्य)	150000
4	दक्षिणी जाखोली रेंज के अन्तर्गत टीओ क्वार्टर जाखड़ी की बाउंड्री वाल निर्माण कार्य (सिविल)	221500
5	टीओ क्वार्टर जाखड़ी की रंगाई-पुताई (सिविल)	152400
6	प्रभागीय कार्यालय की रंगाई-पुताई व अन्य कार्य (सिविल)	350000
7	रेंज कार्यालय उत्तरी जाखोली की मरम्मत व अन्य कार्य (सिविल)	200000
8	रुद्रप्रयाग रेंज के अन्तर्गत अर्दली आवास की मरम्मत व अन्य कार्य (सिविल)	250000
9	दक्षिणी जाखोली रेंज के अन्तर्गत जाखाल रिजर्व कक्ष संख्या 10 के 10 हेक्टेअर क्षेत्र में Asw एवं अन्य कार्य (सिविल)	593800
	योग	**3710615**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुये कार्य कराये गये थे एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन संरक्षक कार्यालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार कार्य प्रारम्भ करने से पहले स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य था।

अत: प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-4 : लेंटाना घास उन्मूलन पर ₹ 17.49 लाख का निरर्थक व्यय ।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक बजट उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक प्रभाग के अंतर्गत लेंटाना घास उन्मूलन हेतु प्राप्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार था:

वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
2015-16	**-**	**-**
2016-17	**666000.00**	**666000.00**
2017-18	**1083000.00**	**1083000.00**
2018-19	**-**	**-**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल ₹ 17,49,000/- लेंटाना घास उन्मूलन हेतु प्राप्त हुये थे तथा संबन्धित वर्ष में व्यय किए गए थे।

आगे लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दोनों वर्षों में प्राप्त धनराशि (₹ 17.49 लाख) को छः रेंजों में वितरित कर व्यय किया गया । परन्तु जिस बीट में वर्ष 2016-17 में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया उस बीट में वर्ष 2017-18 में कार्य नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि प्रभाग को वर्ष 2015-16 व 2018-19 में घास के उन्मूलन हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 व 2017-18 में घास के उन्मूलन पर किये गये व्यय ₹ 17,49,000/- का प्रतिफल नहीं मिल सका एवं किया गया व्यय निरर्थक रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में लेंटाना उन्मूलन हेतु प्राप्त धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

अतः विभाग द्वारा बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लेंटाना घास उन्मूलन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी एवं दो वर्षों में किया गया व्यय ₹ 17,49,000/- निरर्थक साबित हुआ।

अत: प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 5 : अग्रिम मृदा कार्य किये बिना पौधरोपण पर अधोमानक व्यय ` 5.53 लाख ।

वृक्षारोपण संहिता, वन-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वितीय पुनरीक्षण जून 2016 के बिन्दु 2.2.20 (वृक्षारोपण कार्य का समय) के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की सफलता के लिए समय से अग्रिम मृदा कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालय वन-संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा स्वीकृत दर सूची के अनुसार रोपण हेतु पौध तैयार करने मे दो वर्षों मे ` 8.00/- का व्यय आता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण, नमामि गंगे, वनों की सुरक्षा बहूद्देशीय वृक्षारोपण तथा जाइका योजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य कर 3,69,017 गड्ढों को तैयार किया गया था जिनके सापेक्ष 3,69,017 पौधे रोपित किये गये। परन्तु, जाँच में पाया गया कि वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य न कराते हुये 69,100 पौधों का रोपण कर दिया गया था। इस रोपित की गयी पौध को तैयार करने मे ` 5,52,800 (69100*8) का व्यय किया गया था। इस प्रकार 69100 पौधों का रोपण बिना अग्रिम मृदा कार्य किये जाने से ` 5,52,800/- का अधोमानक पौधरोपण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि बिना अग्रिम मृदा कार्य किये पौधरोपण नहीं किया जा सकता है। प्रभाग द्वारा कहा गया कि वृहद वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 10 जुलाई 2017 को लक्ष्य प्राप्त होने के कारण कार्य कराया गया था।

अतः अधोमानक कार्य का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01 : जमानत राशि जमा न कराया जाना ` 0.57 लाख ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में जमानत पंजिका की जाँच किए जाने पर पाया गया कि निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जमानत राशि वर्तमान तक कार्यालय में जमा नहीं कराई गयी थी:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पदनाम	जमानत राशि रु) में(	जमा धनराशि रु) में(	अवशेष राशि रु) में(
1	सुशील कुमार अंथवाल	प्रधान सहायक	1500	500	1000
2	सुमन देवी	कनिष्ठ सहायक	1500	0	1500
3	सुभाष चन्द्र नौटियाल	वन क्षेत्राधिकारी	20000	0	20000
4	वीरेंद्र सिंह	उप राजिक	8000	0	8000
5	दयाराम	वाहन चालक	2000	0	2000
6	अनूप सिंह रावत	वन दारोगा	6000	0	6000
7	भगवान सिंह बिष्ट	वन दारोगा	6000	0	6000
8	पातलीया लाल	वन दारोगा	6000	2000	4000
9	प्रकाश सिंह	वन आरक्षी	4000	0	4000
10	अजीत राज	वन आरक्षी	4000	0	4000
	योग				**56500/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि जमानत जमा करवाने की कार्यवाही की जायेगी।

अत: प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
186/14-15	01	01,02	
06/17	-	01,02	
17/16-17	-	01,02,03,04,05,06	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
186/14-15	-	01,02,03,04,05,06,07,08	-
17/16-17	-	01,02,03	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री मयंक शेखर झा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र